<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>22.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत **सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क** से जुड़े एक जांच के सिलसिले में **6 लोग** नामतः लवजीत सिंह उर्फ लब्बा पुत्र जरनैल सिंह, मनजीत सिंह उर्फ मन्ना पुत्र जरनैल सिंह को 11.10.2024 को, प्रभजीत सिंह पुत्र सेवा सिंह, गुरजोत सिंह पुत्र जसवीर सिंह, रमनदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह को 18.10.2024 को और गुरप्रीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह को 20.10.2024 **को गिरफ्तार किया है** ।

जांच के दौरान अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक बड़े ड्रग्स तस्करी अभियान का खुलासा हुआ। डीआरआई द्वारा न्हावा शेवा पोर्ट पर मेसर्स संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 293.81 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में 02 वाहनों और एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी। इस प्रकार, अब तक कुल **646.52 किलोग्राम** हेरोइन जब्त की जा चुकी है।

ईडी की जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोग यानी लवजीत सिंह, मनजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और प्रभजीत सिंह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय करते थे। ये लोग उस सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे जो अफगानिस्तान और ईरान से टैल्क स्टोन और जिप्सम पाउडर के खेपों में छिपाकर हेरोइन की तस्करी करते थे। आरोपी व्यक्तियों ने ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व में मैसर्स संधू एक्सपोर्ट्स नामक एक फ्रंट कंपनी बनाई थी।

ईडी ने हेरोइन तस्करी और धन शोधन के बेहद एक जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें कई बैंक खाते, नकद लेन-देन और आरोपियों द्वारा किए गए संचालन व्यय की पहचान की गई है। आरोपियों ने अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाया, जिसे आगे चलकर लेयर करते हुए वैध प्रतीत होने वाली वित्तीय गतिविधियों में शामिल किया गया। यह भी पता चला कि सिंडिकेट ने स्थानीय बाजार में ड्रग्स बेचे जाने तक अफगान आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं किया। आगे, आरोपियों ने भंडारण केंद्रों से तस्करी करके आगे वितरण के लिए सेकंड हैंड बाजार से टोयोटा फॉर्च्यूनर, इटियोस, हुंडई वर्ना आदि सहित कई वाहनों को खरीदने के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि महंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए नकदी के इस्तेमाल किए गए और तस्करी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार ऐपों के उपयोग किए गए। ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी की गई ड्रग्स को मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जाता था, बाद में शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक किराए के गोदाम में संग्रहीत किया जाता था और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर से बचने के लिए परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) 10 किलोग्राम की कम मात्रा में किया जाता था।

इसके पहले, ईडी द्वारा जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपी व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते और सावधि जमा कुर्क किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।